अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 48/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती अरूणा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री मनोहर लाल
3. श्री जतिन शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

समस्त निवासी प्लाट नम्बर 9 ए, फतेह कालोनी, सत्यनगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

श्री राम किशन शर्मा पुत्र स्व. श्री सुदर्शन लाल शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 9 ए, फतेह कालोनी, सत्यनगर, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 06.07.2023 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 49/2023 ब उनवानी रामकिशन शर्मा बनाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य

उपस्थितः–
1. अपीलार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 02.01.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 49/2023 ब उनवानी रामकिशन शर्मा बनाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 10887/2023 आदेश दिनांक 07.11.2024 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी एकसेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है और उसकी दोहती स्वाति शर्मा की शादी के बाद प्रत्यर्थी की बेटी और उसके दामाद ने जनवरी 2023 से प्रत्यर्थी का भरण पोषण करने और विवादित प्लाट में निवास करने का वादा किया था, इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी की सम्पत्ति हड़पने के गलत इरादे से उक्त सम्पत्ति में रह रहे है तथा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्यर्थी का भरण पोषण भी नहीं कर रहे है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिसका अपीलार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी संख्या एक मात्र संतान है एवं वृद्ध माता–पिता के भरण पोषण के कारण अपीलार्थी संख्या एक अपने पति अपीलार्थी संख्या 2 के साथ आवेदक की सम्पत्ति पर रहे है एवं उक्त सम्पत्ति पर अपने स्वयं के खर्च और मेहनत की कमाई से निर्माण कार्य भी करवाते रहे है ताकि आवेदक–प्रत्यर्थी को उसकी वृद्धावस्था में सुविधा मिल सके। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की देखभाल करने और उसकी जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोडी है। अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की पुत्री स्वाति शर्मा की शादी के बाद वह आवेदक–प्रत्यर्थी के साथ मिल कर इस आवेदन की आड में अपीलार्थी को बेदखल करने की कोशिश कर रही है, ताकि उक्त सम्पत्ति का लाभ उठा सके। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की थी, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण के बिना किसी धैर्य पूर्वक सुनवाई एवं न्यायिक सिद्वान्तों व प्रावधानों की पालना किये दिनांक 06.07.2023 को प्रत्यर्थी का आवेदन स्वीकार कर अपीलार्थीगण के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10887/2023 शीर्षक अरूणा शर्मा व अन्य बनाम रामकिशन दायर की जिसमें आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुसार अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का फैसला मात्र 3 पेशियों के भीतर किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उक्त निर्णय बिना साक्ष्य एवं जबाब का अवलोकन किये दिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा कई शपथ पत्र व साक्ष्य अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिनका अवलोकन अधिकरण द्वारा सह दृष्टि से नहीं किया गया है । शपथ पत्र व साक्ष्य आवेदक के पुराने दोस्तों एवं पुराने खास सहकर्मियों द्वारा प्रस्तुत किये गये है। जिनमें यह दोहराया गया कि अपीलार्थीगण आवेदक का सम्पूर्ण रूप से देखभाल एवं भरण पोषण करते आये है। उक्त शपथ पत्र व साक्ष्यों में यह भी उल्लेखित है कि परिवार में विवाद का कारण आवेदक की दोहिती स्वाति शर्मा है। उक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इनको अनदेखा किया गया एवं अपीलार्थीगण के खिलाफ जल्दबाजी में बेदखली के आदेश पारित किये है। राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 के नियम 10 के अन्तर्गत अधिकरण का यह कर्तव्य है कि दोनों पक्षों से यह पूछना अनिवार्य है कि क्या वे सुलह अधिकारी के समक्ष आपसी समझौते से मामला सुलझाना चाहते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो सिविल प्रकिया संहिता 1908 एवं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के सिद्वान्तों के विरूद्व है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी बी सिविल रेफरेन्स संख्या 3/2020 में आदेश दिनांक 17.07.2023 व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 35884/2019 आदेश दिनांक 18.08.2023 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2024 में दोनों पक्षों को आपसी सहमति से सम्पत्ति मे अलग अलग हिस्से में रहने के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश दिये है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित बेदखली आदेश न्याय की दृष्टि से अवैद्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को डराया धमकाया जाता है तथा वृद्वावस्था में सेवा सुश्रषा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रत्यर्थी को मजबूरीवश अपनी दोहती की देखरेख में किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुनकर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य पर गौर व मनन करने के पश्चात ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो उचित एवं विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 06.07.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को मकान नम्बर 9 ए, फतेह कालोनी, सत्यनगर, झोटवाडा, जयपुर को 15 दिवस में खाली कर कब्जा प्रत्यर्थी रामकिशन शर्मा को सम्भलाने के आदेश दिये गये है, को अपास्त किये का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत सम्पत्ति का अन्तरण शून्य किये जाने के प्रावधान है। इसमें अन्तरण लिखित व मौखिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियम–2010 की धारा 20 (5) के अनुसार " किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा।" अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को डराना, धमकाना एवं वृद्वावस्था में भरण पोषण नहीं किया जाना पाया गया है। इसलिए अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच आदेश से अपीलार्थीगण को स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस में प्रत्यर्थी का मकान खाली कर कब्जा प्रत्यर्थी रामकिशन शर्मा को सम्भलाने के आदेश दिये है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2023 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner